पत्रांक [illegible]

17/7/25

पत्रांक आज दिनांक 17/7/25 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर तलब कर पेश हुए। न्यूनि वाली तारा देवी विधवा पत्नी स्व. [illegible] मृत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का दर्ज औचित्य गौर नहीं रखता है प्रार्थना पत्र सभी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रांक केस रूपए [illegible] संबंध से एक लेख दाखिल किया गया है।

सहायक कलक्टर
17.7.25

सहायक कलक्टर
[illegible] जिला [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:22:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner